संक्षिप्त समाचार

घरेलू-अंतराष्ट्रीय बाजार में सोना-चांदी के भाव में सुस्ती

नई दिल्ली। घरेलू और अंतराष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को सोना और चांदी के वायदा भाव में नरमी देखने को मिली। दोनों धातुओं की कीमतें आज गिरावट के साथ खुलीं और कारोबार के दौरान भी दबाव में रहीं। घरेलू कमोडिटी बाजार एमसीएक्स पर सोने का बेंचमार्क अप्रैल वायदा कॉन्ट्रैक्ट 20 रुपये की गिरावट के साथ 1,60,251 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। पिछले सत्र में इसका बंद भाव 1,60,271 रुपये था। इस समय यह कॉन्ट्रैक्ट 93 रुपये की गिरावट के साथ करीब 1,60,178 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था। कारोबार के दौरान सोने ने 1,60,251 रुपये का दिन का उच्च स्तर और 1,59,764 रुपये का निचला स्तर छुआ। इस वर्ष सोने के वायदा भाव 1,80,779 रुपये के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुके हैं। चांदी के वायदा भाव में भी आज कमजोरी देखने को मिली।

[कारोबार] लगातार तीसरे दिन भी गिरावट में बंद हुआ शेयर बाजार

सेंसेक्स 1470 अंक लुढ़का, निफ्टी 23,150 के नीचे

स्वदेश समाचार ■ मुंबई

भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट देखने को मिली, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। सप्ताह के आखिरी दिन बाजार के प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी-50 दोनों में करीब 2 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। बाजार में यह कमजोरी मुख्य रूप से विदेशी निवेशकों की बिकवाली, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के कारण देखी गई। कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 1,579 अंक तक नीचे चला गया और अंत में 1,470 अंकों की गिरावट के साथ 74,563 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी करीब 488 अंक टूटकर लगभग 23,151 पर बंद हुआ।

निफ्टी 5.3 और सेंसेक्स 5.5 फीसदी गिरा : पूरे सप्ताह की बात करें तो बाजार में गिरावट और भी ज्यादा रही। निफ्टी इस सप्ताह करीब 5.3 प्रतिशत तक फिसल गया, जो जून 2022 के बाद इसकी सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। इसी तरह सेंसेक्स में भी लगभग 5.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो मई 2020 के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन है। कई बड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। लार्सन एंड टुब्रो, टाटा स्टील, स्टेट बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मारुति सुजुकी और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे प्रमुख शेयरों में 7 प्रतिशत तक गिरावट आई। हालांकि कुछ कंपनियों के शेयरों ने इस गिरावट के बीच बढ़त भी दिखाई, जिनमें हिंदुस्तान यूनीलीवर और भारती एयरटेल प्रमुख हैं।

कुछ कंपनियों ने किया अच्छा प्रदर्शन : हालांकि इस गिरावट के बीच कुछ कंपनियों के शेयरों में तेजी भी देखी गई। उदाहरण के तौर पर कोल इंडिया के शेयर लगभग 6 प्रतिशत तक बढ़ गए। माना जा रहा है कि शुरुआती गर्मी के कारण कोयले की मांग बढ़ने की संभावना है, जिससे इस कंपनी के शेयरों को समर्थन मिला। बाजार में गिरावट का सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी भी रहा। अंतराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। रिपोर्टों के अनुसार ईरान द्वारा दो तेल टैंकरों पर हमले के बाद तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। खासतौर पर स्ट्रेट आफ होर्मुज क्षेत्र में तनाव बढ़ने से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव बना हुआ है।

वैश्विक बाजार में भी रहा गिरावट का रुख

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से देश का आयात बिल बढ़ सकता है और महंगाई पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा वैश्विक बाजारों में भी कमजोरी देखी गई, जिसका असर भारतीय बाजार पर पड़ा। एशियाई बाजारों में कोस्पी, निक्केई 225, एसएसई कंपोजिट इंडेक्स और हैंग सेंग इंडेक्स जैसे प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे। वहीं अमेरिका में भी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, एसएंडपी 500 और नास्डैक कंपोजिट में तेज गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक पश्चिम एशिया में तनाव कम नहीं होता और विदेशी निवेशकों की बिकवाली रुकती नहीं है, तब तक बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

आटो सेक्टर में 10.6 प्रतिशत की बड़ी गिरावट

सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार के कारोबार में सबसे ज्यादा असर ऑटो सेक्टर पर पड़ा। ऑटो कंपनियों के शेयरों में लगभग 10.6 प्रतिशत की बड़ी गिरावट देखी गई, जो पिछले छह वर्षों में सबसे तेज गिरावट मानी जा रही है। निवेशकों को डर है कि मध्य पूर्व में जारी तनाव और युद्ध की स्थिति का असर उत्पादन और निर्यात पर पड़ सकता है। इसके अलावा बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में भी लगभग 5.7 प्रतिशत तक गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार पैसे निकालना बताया जा रहा है।

भारती एयरटेल ने राइट्स इश्यू के जरिए शेयरधारकों से 15800 करोड़ जुटाए

स्वदेश समाचार ■ मुंबई

प्रमुख टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने शेयरधारकों से राइट्स इश्यू के जरिए लगभग 15,800 करोड़ रुपए की राशि जुटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह राशि उस राइट्स इश्यू का अंतिम चरण है जिसे कंपनी ने सितंबर 2021 में शुरू किया था। इस कदम का उद्देश्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, कर्ज कम करना और भविष्य में नेटवर्क विस्तार के लिए जरूरी पूंजी उपलब्ध कराना है। एयरटेल ने इस राइट्स इश्यू के तहत निवेशकों को प्रति 14 शेयर पर एक नया शेयर खरीदने का अधिकार दिया था। इस नए शेयर की कीमत 535 रुपए तय की गई थी, जो उस समय के बाजार मूल्य से लगभग 10 प्रतिशत कम थी। इससे मौजूदा निवेशकों को अपेक्षाकृत कम कीमत पर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिला।

इस नकदी प्रवाह से मजबूत होगी बैलेंस शीट : विश्लेषकों के अनुसार, इस 15,800 करोड़ रुपए के नकदी प्रवाह से एयरटेल की बैलेंस शीट काफी मजबूत होगी। इससे कंपनी अपने कर्ज को कम करने में भी सक्षम होगी।

भुगतान की अंतिम तिथि 16 मार्च रखी

हालांकि यह सामान्य राइट्स इश्यू की तरह नहीं था, जिसमें निवेशकों को पूरी राशि एक साथ देनी पड़ती है। एयरटेल ने इसे पार्टली पेड शेयर के रूप में जारी किया। निवेशकों को शुरुआत में केवल कुछ हिस्सा ही देना पड़ा और बाकी रकम बाद में कंपनी द्वारा मांग किए जाने पर जमा करनी होती है। अब कंपनी ने निवेशकों से प्रति शेयर 401.25 रुपए की अंतिम किस्त जमा करने के लिए कहा है। इस भुगतान की अंतिम तिथि 16 मार्च रखी गई। जब निवेशक यह अंतिम भुगतान कर देंगे, तब ये पार्टली पेड शेयर फुली पेड इक्विटी शेयर में बदल जाएंगे। इसके बाद ये शेयर सामान्य शेयरों की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार के लिए उपलब्ध हो जाएंगे।

पेज 3 का शेष

भारत...

संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने विगत 11 मार्च को रायपुर रेलवे स्टेशन में हरी झंडी दिखाकर महिलाओं के इस दल को नई दिल्ली के लिए रवाना किया था। 'अमृत मित्र महोत्सव' में भागीदारी करने वाली स्वसहायता समूहों की ये महिलाएं 'वीमेन फॉर ट्री' अभियान के अंतर्गत पौधारोपण, हरित क्षेत्रों के संरक्षण तथा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। छत्तीसगढ़ की ये 'अमृत मित्र' महिलाएं अपने-अपने शहरों में तकनीकी और सामुदायिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं। घरों तक सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने जल गुणवत्ता के परीक्षण, जल उपचार संयंत्रों और वितरण नेटवर्कों के संचालन तथा रखरखाव में सहयोग के साथ ही जल संरक्षण तथा 'कचरे से कंचन' जैसे अभियानों के माध्यम से नागरिकों को जागरूक करने का महत्वपूर्ण काम ये महिलाएं कर रही हैं।

24 लाख...

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार बनने के बाद सबसे पहले किसानों को बोनस राशि प्रदान की गई और 13 लाख किसानों के खातों में 3 हजार 716 करोड़ रुपये अंतरित किए गए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के 48 घंटे के भीतर किसानों के खातों में भुगतान सुनिश्चित किया गया। इसके साथ ही कृषक उन्नति योजना के तहत 25 लाख से अधिक किसानों के खातों में 10 हजार 324 करोड़ रुपये की राशि होली से पहले अंतरित की गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। सिंचाई के लिए कृषि पंपों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके लिए इस वर्ष के बजट में 5 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से दो वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना भी शुरू की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बड़ी मदद साबित हो रही है। उन्होंने किसानों से धान के साथ-साथ अन्य फसलों की खेती की ओर भी ध्यान देने की अपील की, जिससे पानी की बचत होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। धरसीवां विधायक अनुज शर्मा ने भी किसानों को संबोधित करते हुए बधाई दी।

प्राकृतिक...

केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। आपदा की स्थिति में प्रभावित राज्यों को त्वरित राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है।

नवजात...

आरोपियों ने खेत में सिंचाई के लिए नदी में मोटर लगाई थी, जिससे करंट फैल गया और तीन दिन पहले उसकी चपेट में आने से दो हाथियों की मौत हो गई। घटना में प्रयुक्त सोलर प्लेट, तार, बैटरी, फेंसिंग वायर, वाटर पाइप सहित अन्य सामग्री भी वन विभाग ने जब्त कर ली है। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं फरार आरोपी की तलाश जारी है।

नांदघाट...

राज्य शासन द्वारा निविदा की मंजूरी इस शर्त पर दी गई है कि अनुबंध के पूर्व ठेकेदार से एडीशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की राशि की बैंक गारंटी जो संपूर्ण कार्यावधि के लिए प्रभावशील हो, प्राप्त कर ली जाए।

मैनपाट...

मैनपाट में लगातार बढ़ते पर्यटक आगमन को देखते हुए इस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। प्रस्तावित परिसर में आधुनिक वेलनेस एवं मनोरंजन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। श्री सिंहदेव ने बताया कि परियोजना में केरल मॉडल पर आधारित वेलनेस सेंटर, प्राकृतिक पंचकर्म चिकित्सा, हर्बल स्पा और आयुष सेवाएं प्रस्तावित हैं। साथ ही 24म7 क्लब हाउस, मिलेट्स कैफे, जिम, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, स्टीम बाथ और एंटरटेनमेंट ज़ोन विकसित किए जाएंगे। पर्यावरण अनुकूल विकास के तहत ट्री हाउस, कॉटेज और स्थानीय जीवन एवं संस्कृति का अनुभव कराने वाला सांस्कृतिक क्षेत्र भी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि परियोजना से मैनपाट में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होंगे और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नई संभावनाएं खुलेंगी। गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधा उपलब्ध होने से पर्यटकों का ठहराव समय बढ़ेगा, जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी बकावण्ड, जिला-बस्तर (छ.ग.)
रा.प्र.क्रं. 677/ब-121/2025-26
//उद्घोषणा//

इस उद्घोषणा के जरिए आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक पदमनाथ पिता तुलाराम जाति धुरवा निवासी ग्राम तारापुर तहसील बकावण्ड जिला बस्तर ने अपने माता स्व. कनक पति तुलाराम ग्राम तारापुर तहसील बकावण्ड जिला बस्तर का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया है।

अतः आवेदक के माता स्व. कनक पति तुलाराम ग्राम तारापुर तहसील बकावण्ड का मृत्यु दिनांक 15/02/2024 (पन्द्रह फरवरी सन दो हजार चौबीस) को ग्राम तारापुर तहसील बकावण्ड जिला बस्तर में हुआ है। आवेदक पदमनाथ पिता तुलाराम जाति धुरवा नवासी ग्राम तारापुर तहसील बकावण्ड जिला बस्तर को अपने माता स्व. कनक पति तुलाराम ग्राम तारापुर तहसील बकावण्ड जिला बस्तर का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा/आपत्ति हो तो वह अपना दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिकृत अधिवक्ता के मार्फत प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 18/03/2026 के पूर्व प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के बाद प्राप्त अभ्यावेदन पर किसी प्रकार की सुनवाई नही होगी।

आज दिनांक 03/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, बकावण्ड, जिला-बस्तर

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)
रा.प्र.क्र.2395/ब-121/2025-26
//उद्घोषणा//

इस उद्घोषणा के जरिये आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक माहरू पिता लोकनाथ जाति माहरा ग्राम- सुवाचोंड तहसील करपावण्ड, जिला बस्तर द्वारा आवेदक अपने पुत्र स्व. लेबो निवासी सुवाचोंड तहसील करपावण्ड , जिला बस्तर छ.ग. का जन्म प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया गया है।

अतः आवेदक/आवेदिका के पुत्र स्व. लेबो पिता माहरू का दिनांक 05.05.2008 को मृत्यु हुई है। आवेदक माहरू पिता लोकनाथ जाति माहरा ग्राम सुवाचोंड तहसील करपावण्ड जिला बस्तर आवेदक स्वयं अथवा आवेदक के पुत्र स्व. लेबो जन्म प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति अथवा दावा पेश करना हो तो वह स्वयं अथवा अपने अधिकृत अधिवक्ता के मार्फत प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 13/03/2026 तक प्रस्तुत कर सकता है। नियत पेशी तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार की सुनवाई नही होगी।

आज दिनांक 25/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर — कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील करपावण्ड जिला बस्तर

//शपथ पत्र//

मै टीलूराम ठाकूर पिता स्व. लच्छिमनाथ जाति धाकड़ निवासी- 322 कुसुमपाल आड़ावाल तह. जगदलपुर जिला बस्तर छ.ग. निम्न कथन करता हूँ।

1 यह कि मैं उपरोक्त पते का निवासी हूँ।

2 यह कि मेरी पुत्री आधार कार्ड क्रमांक 506572844249 पर दर्ज दर्शित नाम भक्ती / BAGATI THAKUR जो कि त्रुटि वश असत्य व गलत है।

3. यह कि पुत्रि के जन्म प्रमाण पत्र पर दर्ज नाम भक्ति ठाकुर BHAKTI THAKUR जो दर्ज करवाना है।

4. यह कि आधार कार्ड में सत्य सही नाम भक्ति ठाकुर BHAKTI THAKUR दर्ज करवाना चाहता है

5. यह कि उक्त शपथ पत्र में आधार कार्ड में नाम व पता परिवर्तन/सुधार हेतु प्रस्तुत है।

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कण्डिका 1 से 5 सत्य एवं सही है।

शपथकर्ता

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)
रा.प्र.क्र.2403/ब-121/2025-26
//उद्घोषणा//

इस उद्घोषणा के जरिये आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती सोमारू बघेल पिता स्व. जयदेश बघेल जाति भतरा निवासी निवासी ग्राम- संघकरमरी तहसील करपावण्ड, जिला बस्तर द्वारा आवेदक अपने पिता स्व. जयदेव बघेल निवासी ग्राम- संघकरमटी तहसील करपावंड जिला बस्तर छ.ग. का जन्म प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया गया है।

अतः आवेदक/आवेदिका के पिता स्व. जयदेव बघेल पिता जगपति ग्राम- संघकरमटी का दिनांक 14.03.2014 को मृत्यु हुई है। आवेदक सोमारू बघेल पिता स्व.जयदेव बघेल जाति भतरा निवासी संघकरमटी तहसील करपावण्ड जिला बस्तर आवेदक के पिता स्व. जयदेव बघेल जन्म प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति अथवा दावा पेश करना हो तो वह स्वयं अथवा अपने अधिकृत अधिवक्ता के मार्फत प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 20/03/2026 तक प्रस्तुत कर सकता है। नियत पेशी तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार की सुनवाई नही होगी।

आज दिनांक 06/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर — कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील करपावण्ड जिला बस्तर

//शपथ पत्र//

मै बलभद्र नायक पिता कुन्तो नायक उम्र 60 वर्ष जाति हरिजन निवासी 48/ख हाटकचोरा अनुकूल देव वार्ड 31 जगदलपुर जिला बस्तर छ.ग. निम्न कथन करता हूँ। यह कि मै उपरोक्त पते का निवासी हूँ।

1 यह कि मेरा आधार कार्ड क्रमांक 261552543513 है।

2 यह कि मेरे आधार कार्ड दर्ज नाम बलिभदर यादव/ BALIBHADAR YADAV पिता कुन्तो यादव / KUNTO YADAV है। जो कि त्रुटि वश असत्य है।

3. यह कि दर्शित नाम से मेरे विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला/प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। और न ही इस नाम से किसी भी बैंक या वित्तिय शाखा से ऋण है।

4. यह कि आधार कार्ड में जाति प्रमाण पत्र अनुसार सही नाम BALABHADAR NAYAK (बलभद्र नायक) पिता KUNTA NAIK (कुन्तो नायक) दर्ज करवाना चाहता हूँ जो कि सत्य एवं सही है

5. यह कि उक्त शपथ पत्र में आधार कार्ड में नाम व पता परिवर्तन/सुधार हेतु प्रस्तुत है।

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कण्डिका 1 से 5 सत्य एवं सही है।

शपथकर्ता

//शपथ पत्र//

मै टीलूराम ठाकूर पिता स्व. लच्छिमनाथ जाति धाकड़ निवासी- 322 कुसुमपाल आड़ावाल तह. जगदलपुर जिला बस्तर छ.ग. निम्न कथन करता हूँ।

1 यह कि में उपरोक्त पते का निवासी हूँ व आधार कार्ड क्रमांक 779254999501 है।

2 यह कि मेरे आधार कार्ड दर्ज नाम टीलू नाग/ TILU NAG जो कि त्रुटि वश असत्य व गलत है।

3. यह कि मेरे शैक्षणिक अभिलेखों/अंकसुची व मतदाता पावती पर दर्ज नाम टीलूराम ठाकुर TILURAM THAKUR जो दर्ज करवाना है।

4. यह कि आधार कार्ड में सत्य सही नाम टीलूराम ठाकुर TILURAM THAKUR दर्ज करवाना चाहता है

5. यह कि उक्त शपथ पत्र में आधार कार्ड में नाम व पता परिवर्तन/सुधार हेतु प्रस्तुत है।

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कण्डिका 1 से 5 सत्य एवं सही है।

शपथकर्ता

Karnataka Bank Ltd.
Your Family Bank. Across India

एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच: कोलकाता
परिसर संख्या 07/1-0333
प्लॉट संख्या CBD 100/3 न्यू टाउन,
कोलकाता-700156 पश्चिम बंगाल

मोबाइल: 9632026760/9073371733
ईमेल: kolkata.arm@ktkbank.com
वेबसाइट: www.karnatakabank.bank.in
CIN: L85110KA1924PLC001128

परिशिष्ट IV/ नियम 8(1) — देखें कब्ज़ा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी, कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन [अधिनियम], 2002 (2002 का 54) के तहत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 27.03.2025 को एक मांग सूचना जारी की, जिसमें उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटरों से मांग की गई: (1) स्वर्गीय शीला जोशी, पत्नी स्वर्गीय लखन जोशी, और (2) स्वर्गीय लखन जोशी, पुत्र श्री महावीर प्रसाद; दोनों (1) और (2) अब दिवंगत हैं और उनका प्रतिनिधित्व उनके कानूनी वारिसों द्वारा किया जा रहा है: (a) प्रज्वल जोशी, पुत्र स्वर्गीय शीला जोशी, (b) शगुन जोशी, पुत्री स्वर्गीय शीला जोशी; दोनों (1) और (2) तथा उनके कानूनी वारिस, यानी (a) और (b), जो यहाँ निवास करते हैं: फ्लैट संख्या 384, ब्लॉक 16, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कचना रोड, रायपुर- 492001; (3) संदीप पटेल, पुत्र गैस राम पटेल, जिनका पता है: GRD कॉलोनी, वृंदावनगढ़, रायपुर-492001; कि वे सूचना में उल्लिखित राशि, जो कि रु. है, का पुनर्भुगतान करें। PS- Term Loan A/c No. 659700180004080 1 के तहत रुपए 12,89,664.63 (बारह लाख नवासी हजार छह सौ चौंसठ रुपये और तिरसठ पैसे मात्र), साथ ही 03.03.2025 से आगे का ब्याज, उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर।

चूंकि उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर ऋण राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ताओं, बंधककर्ताओं, गारंटरों और आम जनता को इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रूल्स, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 12 मार्च, 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्ज़ा ले लिया है।

उधारकर्ताओं, बंधककर्ताओं और गारंटरों को विशेष रूप से, तथा आम जनता को सामान्य रूप से, इसके द्वारा सचेत किया जाता है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करें; इस संपत्ति के संबंध में किया गया कोई भी लेन-देन कर्नाटक बैंक लिमिटेड, रायपुर शाखा के प्रभार (Charge) के अधीन होगा। यह प्रभार PS-टर्म लोन खाता संख्या 6597001800040801 के तहत रुपए 14,33,238.63 (चौदह लाख तैंतीस हजार दो सौ अड़तीस रुपये और तिरसठ पैसे मात्र) की राशि के लिए है, जिसमें दिनांक 03.03.2026 से लगने वाला भविष्य का ब्याज तथा अन्य लागतें भी शामिल हैं।

[उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने (Redeem) के लिए उपलब्ध समय-सीमा का उल्लेख है।

अचल संपत्ति का विवरण

दीन दयाल आवास योजना, ब्लॉक 16, CGHB, मौज़ा- शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ स्थित 6वीं मंजलि के आवासीय फ्लैट संख्या 384 का संपूर्ण भाग और हिस्सा। इसका क्षेत्रफल 542.41 वर्ग फीट है। यह संपत्ति स्वर्गीय शीला जोशी (जिनका निधन हो चुका है) की थी, और अब उनके विधिक वारिसों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाती है (a) प्रज्वल जोशी (स्वर्गीय शीला जोशी के पुत्र), (b) शगुन जोशी (स्वर्गीय शीला जोशी की पुत्री)।
सीमाएँ:
पूर्व: ब्लॉक संख्या 17 — पश्चिम: फ्लैट संख्या 381
उत्तर: फ्लैट संख्या 383 — दक्षिण: ब्लॉक संख्या 17

स्थान: रायपुर
दिनांक: 12.03.2026
कर्नाटक बैंक लिमिटेड की ओर से मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

OFFICE OF THE SUPERINETENDING ENGINEER PUBLIC WORK DEPARTMENT, BILASPUR CIRCLE BILASPUR, CHHATTISGARH
निविदा निरस्तीकरण सूचना
इस कार्यालय के निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 492 दिनांक 06.02.2026 को अपेन्डिक्स 2.10 की कंडिका 4.6 के तहत् निरस्त किया जाता है।

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग
बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर
जी-252607166/7

CHHATTISGARH STATE POWER GENERATION CO. LTD.
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking) CIN:U40108CT2003SGC015821
No.15-06/S&P/EE-III/C&I/W/T-35/26/773 Marwa, dtd.12.03.2026
NOTICE INVITING E-TENDER NO. TN. -28/2026
Online bids are invited by the undersigned through CSPCL e-bidding system (SAP SRM) from experienced firms for work as mentioned below for ABVTPS, CSPGCL, Janjgir-Champa:-

S. No.	Tender Specification No.	RFx No. (E-Tender No.)	Particulars	Last Date/Time of submission of bid.	Tender Fee	EMD
01.	15-06/S&P/EE-III/C&I/W/T-35/26	8100050056	Supply,Removal and Laying of linear Heat Sensing Cable (LHS) for Cable Gallery for FDA (Fire Detection and Annunciation) system of 2X500 MW, ABVTPS, CSPGCL, Janjgir- Champa.	07.04.2026 15:30 Hrs	Rs.590/- (Rs.500/- + GST @ 18%)	Rs. 14200/-

The bidder shall deposit the requisite Tender Fee & EMD amount online through our e-bidding portal before due date and time. For other details, please visit our website www.cspc.co.in/CSPGCL/Ebidding/Ebidding web portal. Any Extension/ Corrigendum / amendments, if required, shall be displayed on above websites only.
S-47198-1
Superintending Engineer (Contract)
O/o The Addl. Chief Engineer (S&P)
ABVTPS, CSPGCL, Janjgir- Champa
// SAVE ELECTRICITY FOR THE BENEFIT OF SELF & NATION //

परिशिष्ट IV-A
अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के नियमों को पढ़ते हुए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अधीन अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) तथा गॅरेन्टर (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी है, जिस पर सुरक्षित लेनदार अधिकृत अधिकारी **इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड [CIN : U67190MH2008PLC181062] ("सुरक्षित लेनदार द्वारा")** द्वारा **वास्तविक कब्जा** लिया जा चुका है, **30.03.2026 को शाम 05.00 बजे से 06.00 बजे** तक "जहां है", "जैसा है" और "जो कुछ भी है", की वसूली के लिए **ऋण खाता नं. HHLRPR00521066** के लिए **रु. 48,33,229/- (रुपए अड़तालीस लाख तैंतीस हजार दो सौ उन्तीस मात्र)** के लिए **09.03.2026** तक बकाया मूलधन, बकाया (विलंब शुल्क के समेत) और ब्याज ऋण समझौते तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागू भावी ब्याज तथा कानूनी व्यय और अन्य खर्चों के साथ **10.03.2026** से प्रभावी जो **कृष्णकांत तिवारी उर्फ कृष्णा कांत तिवारी और तृष्णा कृष्णाकांत तिवारी** पर सुरक्षित लेनदार द्वारा बकाया है की वसूली के लिए बेचा जाएगा।

ऋण खाता क्रमांक **HHLRPR00521066**, इसके समस्त अधिकार (अधिकारों), शीर्षक (शीर्षकों), हित (हितों), अंतर्निहित प्रतिभूति (प्रतिभूतियों), गिरवी और/या गारंटी, जिसमें अचल संपत्ति भी शामिल है, को सम्मान कैपिटल लिमिटेड ("एससीएल") (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) द्वारा असाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक **26.12.2025** के माध्यम से **आईएसएआरसी-2025-2026-5 ट्रस्ट के ट्रस्टी** के रूप में कार्य कर रहे सुरक्षित लेनदार को और उनके पक्ष में सौंप दिया गया है। सुरक्षित लेनदार ने विधिवत रूप से एससीएल से वित्तीय सुविधा का अधिग्रहण कर लिया है और इस प्रकार, वह ऋण समझौते और अन्य संबंधित ऋण दस्तावेज (दस्तावेजों) की शर्तों के अनुसार अपनी बकाया राशि की वसूली करने और/या अचल संपत्ति के संबंध में सुरक्षा हित को लागू करने के लिए सभी शक्तियों से संपन्न और हकदार है।

अचल संपत्ति की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य **रु. 40,60,000/- (रुपए चालीस लाख साठ हजार मात्र)** होगा और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ("ईएमडी") **रु. 4,06,000/- (रुपए चार लाख छह हजार मात्र)** यानि आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर होगा।

अचल संपत्ति का वर्णन
फ्लैट/ यूनिट नंबर सी-202, दूसरी मंजिल, 1000 वर्ग फीट का कार्पेट क्षेत्रफल, लगभग 1125 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्रफल और 1430 वर्ग फीट का सुपर निर्मित क्षेत्रफल, सालासर हाइट्स के, सालासर ग्रीन्स के, ब्लॉक-सी में, खसरा नंबर 316/2 के भाग में स्थित, संत रावदास वार्ड नंबर 70 में स्थित, मौजा सरोना, पी. एच. नंबर 104/35/56, आर. आई. सर्कल, रायपुर-1, रायपुर-492001, छत्तीसगढ़, उक्त भूमि में 546 वर्ग फीट के अविभाजित आनुपातिक हिस्से सहित। सीमाएं :
उत्तर में : फ्लैट नंबर सी-201, पूर्व में : लॉबी और फ्लैट नंबर सी-204,
दक्षिण में : ब्लॉक-डी, पश्चिम में : भूमि की सीमा।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.isarc.in देखें; हेल्पलाइन नंबर : 0124-6910910, +91 7065451024; ई-मेल आईडी : auctionhelpline@sammaancapital.com। बोली लगाने के लिए www.auctionfocus.in पर लॉग ऑन करें।

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 09.03.2026 — इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
स्थान : रायपुर — आईएसएआरसी - 2025 - 2026 - 5 ट्रस्ट के ट्रस्टी

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 6th Floor, B Building, Ganga Trueno, Lohegaon, Pune, Maharashtra 411014 शाखा कार्यालय इकाई: First Floor, Indira Tower, Vinoba Nagar, Vyapar Vihar, Bilaspur (CG), Chhattisgarh-495001
ई-नीलामी-बिक्री सूचना — SARFAESI अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, जिसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पढ़ा जाए। इसके द्वारा आम जनता को, और विशेष रूप से उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, बंधककर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां Grihum Housing Finance Limited (जिन्हें इसके बाद अधिनियम के अनुसार सुरक्षित लेनदार कहा जाएगा) के पास बंधक रखी गई थीं; इन संपत्तियों का कब्जा सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना के अनुसरण में, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ले लिया गया है। सुरक्षित आस्तियों को 16-04-2026 को ई-नीलामी के माध्यम से जैसी है जहाँ है (As is where is), जैसी है वैसी है (As is what is), और जो कुछ भी है (Whatever there is) के आधार पर बेचा जाएगा। आम जनता को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों (T&Cs) के लिए, कृपया GHFL/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट, यानी www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

क्र. सं.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम (A)	मांग नोटिस की तारीख और बकाया राशि (B)	कब्जे की प्रकृति (C)	संपत्ति का विवरण (D)	आरक्षित मूल्य (E)	EMD (RP का 10%) (F)	EMD जमा तारीख (G)	बढ़ती बोली (H)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय (I)	संपत्ति निरीक्षण की तारीख और समय नीलामी (J)	यदि कोई भार/अदालती मामले हो, तो उनकी जानकारी (K)
1	ऋण संख्या LAP0579200000005043211 गौतम साहू (ऋण लेने वाला) पूर्णिमा बाई साहू (सह-ऋण लेने वाला)	नोटिस की तारीख: 09-07-2025 7 कुल बकाया: Rs. 1340245/- (तेरह लाख चालीस हजार दो सौ पैंतालीस रुपये मात्र), जो 09-07-2025 तक देय है, साथ ही वसूली होने तक @15.85% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देय होगा।	भौतिक	संपत्ति का वह समस्त भाग, जो भू-स्वामी की परिवर्तित भूमि है, ग्राम कोटमिसोनार, P.H.No. 15, रा.नि.मं. अकलतरा, ग्राम पंचायत कोटमिसोनार की सीमा के अंतर्गत, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा (C.G) में स्थित है। इसका खसरा क्रमांक 2402 है, जिसका क्षेत्रफल 0.06 एकड़ = 0.024 हेक्टेयर = 243 वर्ग मीटर है। इसका परिवर्तित सर्वे क्रमांक 2402 है, क्षेत्रफल 0.06 एकड़ है और परिवर्तित भू-राजस्व 200.00 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में - शिव प्रसाद की भूमि; पश्चिम में - गली; उत्तर में - गली; और दक्षिण में - भगवत की भूमि।	रु. 20,94,313.00/- (केवल बीस लाख चौरानवे हजार तीन सौ तेरह रुपये)	रु. 209431.30/- (केवल दो लाख नौ हजार चार सौ इकतीस रुपये और तीस पैसे)	15-04-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	10-04-2026 (सुबह 11 बजे - शाम 4 बजे)	16-04-2026 (सुबह 11 बजे - दोपहर 2 बजे)	शून्य

बोली लगाने के इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार शाखा और नीलामी वाली संपत्तियों का दौरा करें, अपनी खुद की जांच-पड़ताल करें, और बोली जमा करने से पहले अतिरिक्त शुल्कों, भारों (encumbrances), और किसी भी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाकर, सभी पहलुओं से स्वयं को संतुष्ट कर लें। संपत्ति से जुड़े सभी वैधानिक बकाया जैसे कि संपत्ति कर, बिजली/पानी का बकाया, और कोई अन्य बकाया (यदि कोई हो), का पता लगाना और उनका भुगतान करना सफल बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी। इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा और ई-बोली (e-bidding) के लिए अनिवार्य लॉगिन ID और पासवर्ड, नीलामी सेवा प्रदाता (C1 India PVT LTD) से काफी पहले प्राप्त करना होगा। पता- प्लॉट नंबर-68, तीसरी मंजिल, गुड़गांव, हरियाणा-122003। हेल्पलाइन नंबर- 7291981124, 25, 26। सहायता ईमेल ID - Support@bankeauctions.com। संपर्क व्यक्ति - धरणी पी, ईमेल ID - dharani.p@c1india.com, संपर्क नंबर - 9948182222। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता ई-नीलामी (e-auction) पर ऑनलाइन प्रशिक्षण केवल इन्हीं से प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक खरीदार/बोली लगाने वाले को अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) की राशि NEFT/RTGS/DD के माध्यम से "GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED-AUCTION PROCEEDS A/C" के खाते में जमा करनी होगी। बैंक का विवरण इस प्रकार है: ICICI BANK LTD, खाता संख्या- 091551000028, IFSC कोड- ICIC0000915। यह राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से 15-04-2026 को या उससे पहले जमा की जानी चाहिए। साथ ही, उन्हें https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा, निःशुल्क यूज़र ID और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी (e-Auction) के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, इच्छुक खरीदार/बोली लगाने वाले को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी, उन्हें ई-मेल करना होगा, और उनकी स्व-प्रमाणित (self-attested) हार्ड कॉपी इस पते पर भेजनी होगी: First Floor, Indira Tower, Vinoba Nagar, Vyapar Vihar, Bilaspur (CG), Chattisgarh-495001. मोबाइल नंबर: +91 8281138143, ई-मेल ID: p.adith@grihum-housing.com. नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया ई-नीलामी में भाग लेने हेतु https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएं।

इस नोटिस को सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम-2002 के नियम 8(6) के तहत उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता (और गारंटर) को दिया गया 30 (तीस) दिनों का नोटिस भी माना जाएगा।

किसी भी स्थिति में, यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र के प्रकाशन की सामग्री के बीच कोई अंतर पाया जाता है, तो सेंट्रल क्रॉनिकल (Central Chronicle) में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र की सामग्री ही मान्य मानी जाएगी।

दिनांक: 14.03.2026 स्थान: CHAMPA (C.G.) — हस्ताक्षरित: अधिकृत अधिकारी